

# कैसे कोई महिला इस क़ानून के तहद् सुरक्षा प्राप्त कर सकती है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का  
संरक्षण अधिनियम २००५



न्यायिक दंडाधिकारी



सुरक्षा अधिकारी



## शिकायत



कोई भी महिला सुरक्षा अधिकारी के सहयोग से अथवा सीधे न्यायिक दंडाधिकारी के सामने अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकती है।

वह सुरक्षा अधिकारी से फ़ोन या पत्र से सम्पर्क कर सकती है। साथ ही वह पुलिस, स्वयंसेवी संस्था व पड़ोसी के मदद से शिकायत दर्ज़ कर सकती है।

## न्यायिक आदेश



शिकायत दर्ज़ होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी पीड़िता के पक्ष में संरक्षण अधिकारी को आदेश देता है।

इस आदेश के आधार पर पीड़िता को आवश्यकता अनुसार राहत एवं सहायता प्राप्त होती है।

## सुरक्षा



सुरक्षा अधिकारी के द्वारा पीड़िता महिला के पक्ष में आवश्यक मदद एवं सुरक्षा सुनिश्चत की जायेगी।

सुरक्षा अधिकारी इस कार्य में आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदाता एवं पुलिस की सेवा ले सकते हैं।

अपने क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी का नाम तथा स्थानीय संगठनों के नामों की जानकारी एवं सम्बन्धित नई जानकारीयां रखिये।

एक ही क़ानून के तहत महिला को  
तात्कालिक सहायता देने का प्रावधान है।

हमसफ़र महिला सहायता केन्द्र  
27, न्यू बेरी रोड, निकट टाइम्स ऑफ़ इण्डिया  
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)  
फ़ोन - 0522-2205215, 0522-4260119

वनांगना मानवाधिकार इकाई  
सट्टन चौराहा  
हाथीखाना मस्जिद के ठीक सामने  
ज़िला बांदा (उत्तर प्रदेश)  
फ़ोन - 05192-227294

श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय  
ग्राम एवं पोस्ट-जोकहरा  
ज़िला-आज़मगढ़  
उत्तर प्रदेश  
पिन कोड: 276136

